

32

राजस्थान सरकार
कानून विभाग

43

सं. 937/1977

जयपुर, दिनांक: 19.2.1977

-सूचना :-

विषय:- अनुजाति/जनजाति के व्यक्तिओं के आरक्षण अवधि में
अग्रणत्व के संबंध में।

जैसा कि आपको विदित है कि समस्त सेवा नियमों में स्पष्ट प्रावधानों के साथ ही कि कौन सी वर्ष विशेष में आरक्षण रिक्तियों के अग्रण योग्य एवं पौत्र न्यायिक उपबन्ध नुसार होने की स्थिति में विशेष रूप से आरक्षण पदों को अग्रणत्व नियुक्ति वर्षों में अग्रणत्व करने का प्रावधान है। उक्त अग्रणत्व तीन नियुक्ति वर्षों तक ही होता है और जिसके पश्चात् उक्त अग्रणत्व समाप्त होता जाएगा।

उक्त विधिगत नियुक्ति वर्ष से तात्पर्य के अन्वय में राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण अवधि के अग्रणत्व हेतु नियुक्ति वर्ष से तात्पर्य उक्त वर्ष से है, जिस वर्ष विशेष में वास्तविक रूप से नियुक्ति का कार्य है।

इस विभाग के अन्तर्गत में बताया गया है कि कुछ नियुक्ति वर्षों अग्रण-कारियों के उक्त आरक्षण अवधि के अन्तर्गत ही अग्रणत्व एवं उसके समाप्त करने के उद्देश्य से उक्त वर्ष का आग्रणत्व का कार्य नहीं है विशेष वास्तविक रूप से कोई नियुक्ति नहीं का कार्य है।

अतः इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि आरक्षण अवधि के अन्तर्गत ही अग्रणत्व के उद्देश्य से नियुक्ति वर्ष से तात्पर्य उक्त वर्ष से समाप्त करने के लिए जिस वर्ष विशेष में वास्तविक रूप से नियुक्ति का कार्य है।

अतः कृपया उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु सभी अग्रणत्व नियुक्ति वर्षों अग्रणत्व के कार्यवाही करने का कार्य करें।

[Handwritten Signature]

सचिव

प्रोत्तम विभाग के सचिव को सूचना के अन्तर्गत कार्यवाही के हेतु


सूचना :-

1- राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान

2- राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान

3- राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान

- 1-सर्वोच्च प्रमुख शाखा सचिव/शाखा सचिव ।
- 2-सर्वोच्च विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (डी) सहायकी सचिव ।
- 3-सचिव/सचिव के सहायक/सहायक/सहायक ।


 उपा शाखा सचिव

प्रतिनिधि विभागाध्यक्ष को यह सूचना दी जायेगी एवं आवश्यक कार्यवाही
 हेतु प्रेषित है :-

- 1-सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर ।
- 2-सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
- 3-सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर ।
- 4-सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ।
- 5-सचिव, राजस्थान सीमावर्ती सचिवालय, जयपुर ।
- 6-सर्वोच्च पत्राचार ।


 उपा शाखा सचिव